

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख वाद संख्या— 501/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
४६/०३/२०२०	याद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्बवाई से संबंधित।	
	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपटित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष संघित, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि—</p> <p>मौजा— <u>मुर्मिली</u>, थाना नं०- १०, खाता संख्या- ६७ प्लॉट संख्या- ७००, रकबा— १०३३, एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- । के पृष्ठ संख्या- ९२, पर जमाबंदी रैयत <u>रमनी चान्न मठल पिटा-मारीची मंडतु</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी दिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य लोकति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अमिलेख दिनांक— २०/०३/२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">(b)</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

अभिलेख उपस्थितियाँ। वहाँ आमिला रात। किंतु इसी जगही
ऐसी जगही रियत के बदल के दान सक्त मूर्मि से सवाइत छिसी प्रकार का दमताहाल
प्रभाग नहीं किया गया और यही अपना पहली रखा गया।

अतः सक्त जगही को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) मूर्मि सुधार अधिनियम
१९५० की धारा ४(II) के तहत जगही को यह करने हेतु अनुशासा की जाती है। अतः
कारबाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहती को भेजो।

(6)

अध्यकारी
गोदिन्दपुर